

न्यायालय अवर न्यायाधीश  
सोनपुर सारण।

फाईनल डिक्री बंटवारा वाद सं०- 185 सन् 2012

राकेश रत्नेश व अन्य.....वादीगण

बनाम

प्रभूनाथ प्रसाद सिन्हा व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक:-

27.02.2020

डिक्रीदार अनुपस्थित है। उनकी ओर से विगत कई तिथियों से कोई पैरवी नहीं की जा रही है ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण को अब इस वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। जिसके कारण उनके द्वारा इस वाद में पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद का आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः इस फाईनल डिक्री बंटवारा वाद 158 सन् 2012 को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

सब जज

सोनपुर सारण।